SHRI R. V. SWAMINATHAN: What about other factories?

SHRI SHANTI BHUSHAN: In other factories also, within the financial resources of the Government, we will utilize as much installed capacity as possible.

श्री तेज प्रताप सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो तीन फर्टिलाइजर्स फैक्टरियां स्थापित की गई हैं, इन की उत्पादन क्षमता अलग अलग क्या है और किस किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स यहां बनाए जाएंगे ?

श्री शान्ति भूषण : इस के बारे में इस समय जानकारी मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो उन की क्षमताओं के बारे में बता दूंगा ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इस में बहुत से काम्पलीकेशन्स मंत्री जी एराइज कर दिये हैं ।

MR. SPEAKER: I know what you want. He cannot satisfy you because you want him to answer in a particular way, which naturally no Minister can do. Since the Demands relating to this Ministry are going to come up, certainly that would be a better time to raise it when you can expect to get more information.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मध्य प्रदेश में जो पहले से बन रहे हैं, उन को क्यों बन्द कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER: I know you are agitated. But what can the poor Speaker do?

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि मध्य प्रदेश का प्लान्ट बन्द किया गया ?

MR. SPEAKER: I entirely agree. But what can be done? I cannot ask him to answer a question in a particular way. It is not in my hands.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कोल-बेस पर फर्टिलाइजर्स बन सकता है ।

भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

***226. श्री उग्रसेन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित भारतीय तेल निगम के विपणन विभाग में काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुछ कर्मचारियों ने अपने पदोन्नति-कोटे सम्बन्धी प्रावधानों की ओर अधिकारियों का ध्यान दिलाते हुए हाल ही में अभ्यावेदन पेश किये हैं जिनमें पदोन्नतियों की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो आरक्षित पदोन्नति कोटे को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं और दिल्ली में पद-वार कितने कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गई हैं; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों की पदोन्नति पर दिल्ली से बाहर भेजने से पहले इस बात पर ध्यान दिया गया है कि दिल्ली में उन पदों पर आरक्षित कोटा पूरा है; और यदि हां, तो कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति पर दिल्ली से बाहर भेजने के क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The entire Northern Region is considered as a single unit for purposes of promotion. The following grade-wise promotions for Northern Region

were made during 1977 for SC/ST candidates·—

Category	Total number promoted	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Ty) t-cum-Clerk to Assistant · · · ·	16	3	2
Ste)) to P.A. · · · · · · · ·	4		
Ass·stant to Operation Officer Grade-III/Section Officer Grade II/Accountant · · ·	6		
Staff car Driver to Tank-Truck Driver · · ·	2	2	

(c) Since the Northern Region is taken as a whole for the purpose of promotion, the question of promotion against vacancies in Delhi does not arise

श्री उग्रसेन : अध्यक्ष महोदय, यह तो पुराना पाप है जिसको मैं आपके सामने रखने के लिए मजबूर हुआ हू। रेडियो पर बराबर आया करता था कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगो के लिए बराबर ध्यान दे रही है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हू कि नवम्बर, 72 मे कैबिनेट सेक्रेटेरियेट की तरफ से जो सरकुलर भेजा गया था जिसमे कहा गया था कि जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगो की पदोन्नति के लिए एक अलग रोस्टर रखा जाए, उनके रिक्त स्थानों को रिजर्व्ड रखा जाए और उनको भर्ती या पदोन्नति करते समय योग्यता की शर्तों मे ढील दी जाए, उस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही नही की गई तो क्यो नही की गई ?

श्री शांति भूषण : 72 के जिस परिपत्र के बारे मे माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं कि केबिनेट से गया है, उसके बारे मे मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर वे नोटिस देंगे तो जानकारी हासिल करूंगा।

श्री उग्रसेन : 30 मार्च, 1976 को इसी आदरणीय सदन में श्री शांति भूषण सहाय ने इसी सम्बन्ध मे एक सवाल पूछा था जिसके जवाब मे सरकार ने बताया था—— यह जवाब है, बहुत बडा जवाब है, मैं इसमे से सिर्फ थोडा-सा पढ़ कर सुनाऊगा। इस जवाब के अनुसार 295—520 के ग्रेड मे 39 लोग काम करते है जिनमे से केवल तीन जन जाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसमे सब से लोएस्ट जो 180—291 का ग्रेड है, उसमे 192 लोग काम करते हैं जिनमें सिर्फ 35 लोग ही जनजाति के और हरिजन हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या मंत्री महोदय इस बात की कोशिश करेंगे कि इन हरिजनो और जनजाति के लोगो को जो पूरा कोटा नही मिला है वह पूरा कोटा उन्हें मिले ? अगर इन लोगो के लिए पदोन्नति के बाद दिल्ली मे ही जगहे हैं तो इन्हे दिल्ली से बाहर क्यो भेजा जाता है, इन्हें दिल्ली मे ही क्यो नही रखा जाता है ? क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

श्री शांतिभूषण : शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो भी रिजर्व्ड कोटा है उसको भरने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसा माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि क्या प्रमोशन के बाद दिल्ली मे ही रखने की कोशिश करेंगे तो उसके बारे में [illegible] अभी बताया है कि पूरा नॉर्दर्न रीजन एक रीजन माना जाता है। जैसे कि एक श्री जुगल किशोर का मामला है

जो कि 31-12-77 को प्रमोशन के लिए एलीजिबल होते हैं—उन नार्म्स के मुताबिक जो कि एक्सेप्टेड नार्म्स हैं। टाइपिस्ट्स और क्लर्क जिनकी प्रमोशन असिस्टेंट के पदों पर होती है, वे प्रमोशन के बाद भी दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते। इसलिए इन नार्म्स को रिलेक्स करके तीन साल की सरविस वालों को भी प्रमोशन के लिए कंसीडर किया गया। श्री जुगल किशोर ने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया था लेकिन इन्टरव्यू के समय उन्होंने कह दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसलिए दूसरे चार आदमियों को सेलेक्ट किया गया जिनमें से दो बाहर गये, दो ने इंकार कर दिया कि वे प्रमोशन पर भी दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते। उसके बाद श्री जुगल किशोर ने फिर अपनी मर्जी जाहिर की कि वे बाहर जाने को तैयार हैं। 5 मई, 77 को उनका प्रमोशन जोधपुर के लिए कर दिया गया। फिर उन्होंने 11 मई को डिक्लाइन कर दिया। इसलिए यह दिक्कत है कि लोग प्रमोशन पर भी दिल्ली से बाहर जाने को तैयार नहीं हैं। प्रमोशन के लिए नार्दन जोन एक जोन माना जाता है।

श्री यशवन्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल एक विभाग से ही सम्बन्धित नहीं है। यह एक व्यापक प्रश्न है कि किस तरह से पिछले तीस वर्षों में पिछड़े वर्ग की उपेक्षा होती रही है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा और उनसे आश्वासन चाहूंगा कि इन सेवाओं में जो नौकरशाही अड़ंगा डालती रही है, उस अड़ंगे को हटा कर इन पिछड़े वर्गों के 12 प्रतिशत को क्या, एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाएगा? अभी स्थिति यह है कि उनके मामले में किसी भी विभाग में एक प्रतिशत भी कोटा उनको नहीं मिला हुआ है। क्या आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस अड़ंगे को दूर कर उनका कोटा पूरा करेंगे?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) इसकी चिन्ता मैं करता हूं और आगे भी चिन्ता करूंगा। लेकिन आम नौकरशाही को ऐसा दोष देना ठीक नहीं है। इस में मिनिस्ट्री का ही दोष होगा।

श्री लालजी भाई : दिल्ली में जो स्थायी रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोग रह रहे हैं उनको तो इस कोटे में कंसिडर किया जाता है लेकिन जो अस्थायी रूप से दिल्ली में आ कर बस गये हैं, उन में से शैड्यूल्ड कास्ट्स को तो कंसिडर किया जाता है लेकिन शैड्यूल्ड ट्राइब्स की नहीं किया जाता है। क्या इस भेदभाव को आप समाप्त करेंगे? यह जो भेदभाव यहां किया जा रहा है यह क्यों किया जा रहा है?

श्री शांति भूषण : जो इनके लिए कोटा सुरक्षित है, पूरी कोशिश की जाती है कि उसको भरा जाए और उनको प्रोमोशन भी दी जाए। जहां तक प्रोमोशन का सवाल है उसके लिए भी उनको कंसिडर किया जाता है और अगर जन जाति या अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति कम योग्य भी हो और दूसरा ज्यादा योग्य होना है तो भी उसको ले लिया जाता है और उसको प्रोमोशन दे दी जाती है। लेकिन जब यह देखा जाता है कि वह उस पद के योग्य ही नहीं है तब मजबूरी हो जाती है। दिल्ली की एक और भी समस्या है। दिल्ली से लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जब उनको प्रोमोट करके बाहर भेजा जाता है तो वे अपनी मजबूरी जाहिर कर देते हैं और नहीं जाते हैं।

श्री लालजी भाई : मैं दूसरा प्रश्न कर रहा था। जो दिल्ली में स्थायी तौर पर रह रहे हैं उनकी बात तो ठीक है लेकिन अस्थायी तौर पर जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है।

श्री सोमजीभाई डामोर : तीस साल तक जो कोटा पूरा नहीं किया गया है, कोटे की जो पूर्ति नहीं हुई है, क्या उस सब की पूर्ति करने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री शांति भूषण : जितनी भी कमी उस कोटे मे है उस कमी को कोटा पूरा होने तक कसिडर किया जाता है उसको ध्यान मे रखा जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई उपयुक्त व्यक्ति इन जातियो का नही मिलता है तो मजबूर हो जाते हैं और आगे इंतजार किया जाता है। जब उपयुक्त व्यक्ति मिल जाता है तब कोटा भरा जाता है और भरा जाएगा।

श्री मांगी लाल : केन्द्रीय स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर इस सम्बन्ध मे आपके आदेशो का पालन नही होता है। जो अफसर केन्द्र मे या प्रान्तो मे इन आदेशो का पालन नहीं करते हैं और कोटा पूरा नही करते हैं क्या उनको दंड देने की कोई व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर भी क्या आप ऐसे आदेश देंगे कि जो अधिकारी प्रोमोशन मे या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मे हरिजनो और जन जातियों के लोगो की उपेक्षा करता है उसके कारैक्टर रोल में बैड एंटरी की जाए और उन अधिकारियों को प्रोमोशन न दिया जाए ?

श्री शांति भूषण : अगर कोई अफसर जान बूझ कर कांस्टीट्यूशन के प्रावधानो की अवहेलना करता है और जो स्थान इन जातियो को मिलने चाहिएं उनको नही देता है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर माननीय सदस्य इस के बारे में कोई चीज सरकार के ध्यान मे लाएंगे जिससे पता चलता हो कि किसी अफसर ने जान-बूझ कर ऐसा किया है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

श्री आर० एल० कुरील : अगर कोटा भरा नहीं जाता है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि वह अधिकारी जिस के जिम्मे यह काम था वह इसके लिए रिसपांसिबल है और इस लैप्स के लिए उसको परसनली रिसपांसिबल ठहराया जाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बातें तो बहुत की जाती रही हैं भाषण तो बहुत होते रहे हैं लेकिन वास्तव मे कुछ नही हुआ। अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ किया नहीं जाता है तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि जिस तरह से कांग्रेस करती आ रही थी उसी तरीके से आप भी काम कर रहे है। अगर आप वास्तव मे इस सिलसिले मे ठोस काम करना चाहते है तो जो अधिकारी कोटा पूरा नही करता है he must be punished for that and he should be personally responsible for that offence.

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य का सुझाव है कि अगर कोटा किसी कारण से भी पूरा नही हो तो कारण कुछ भी हो, अफसर की गलती हो या न हो, लेकिन यह मान लिया जाय कि अफसर की ही गलती रही होगी। यानी अगर उस तरह के उपयुक्त लोग मौजूद न हो, किसी ने दरखास्त न भी दी हो .... (व्यवधान)

जैसा कि मैंने पहले कहा कि जहां जहा भी उपयुक्त अफसर जिनको प्रोमोशन कोटा में दिया जा सकता है वह हैं, जरूर इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि उनका जो अधिकार है उसकी उपेक्षा न हो और सब को लिया जायगा। यह तो मैं आश्वासन सरकार की तरफ से दे रहा हूं कि कोटा के अन्दर जब जब उपयुक्त आदमी मिलेंगे तो जरूर उन को रखा जायगा ...(व्यवधान)

सरकार आश्वासन देती है कि सरकार इस बात को देखेगी, कोई बात के रास्ते में नहीं आ सकता। जो इन्साफ है वह जरूर उनके साथ किया जाय।

SHRI L. K. DOLEY: The hon. Minister has made a mention about the question of efficiency while judging the merits of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates in the matter of recruitment in order to fill up the vacancies or for promotions. In view of that, may I know whether the boards which are examining the efficiency of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates are represented by the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The departmental promotion committees are constituted according to the rules. They have to examine and see as to whether suitable persons are available. If suitable persons are available, even though there might be superior persons available from other general categories, within the quotas, the posts are given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons.

श्री शिव नारायण: अध्यक्ष महोदय, दिल साफ हो तो आइना क्या चीज है। मेरी नई सरकार से प्रार्थना है कि वह एक कमीशन मुकर्रर कर के पिछली सरकार के काले कारनामों की जांच कराये। मैं चाहता हूं कि मोरारजी भाई की नई सरकार हरिजनो को पूरा आश्वासन दे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं उन पर विश्वास करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, शिकायत इस बात की है कि मंत्री जी ने कहा कि क्वालिफ़ाइड नहीं हैं। हमारे लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, रिटिन टेस्ट में 75 परसैंट नम्बर पाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में, चूंकि वह काले कलूटे हैं, कम नम्बर दे कर सर्विस में नहीं लिया जाता है। मेरा कहना है कि इंटरव्यू के नम्बरों को ध्यान में न रखा जाय।

श्री शांति भूषण: सरकार पूरा ध्यान करेगी और किसी एक के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा कि इन्साफ न हो। हरिजनों के साथ पूरा इसाफ यह सरकार करेगी। पिछली सरकार के काले कारनामों पर ध्यान देने के बजाय यह सरकार सफेद कारनामे करने ज्यादा पसन्द करेगी।

जहा तक इनके पुत्र का सम्बन्ध है, उसके बारे मे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूगा।

SHRI B. RACHAIAH: I would like to know what type of programme this Ministry wants to follow to fill up the backlog in the promotion quota. I would like to have a categorical statement from the Minister. The Chairman of the Hindu Mahasabha has made a statement in the Press that all reservations in favour of the SC&ST candidates in the State Assemblies, in Parliament and in the Government services should be done away with. What is the reaction of the Government to this?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The Government does not agree with that at all.

श्री छविराम अर्गल: आपकी डी० पी० सी० कमेटी की कितनी बैठकें हुई और उन्होंने कहां कहां कितना कोटा पूरा किया है?

श्री शांति भूषण: इस वक्त मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि जगह जगह पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की कितनी बैठकें हुई हैं और उसमें अलग अलग कितने लोगों को सलेक्ट किया गया है। अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं जानकारी हासिल करूंगा।

SHRI P. K. KODIYAN: I think the hon. Minister is aware of the fact that some injustice has been done to the SC & ST employees in regard to their

promotion and they have been transferred to distant places If so, I would like to know whether Government would look into such complaints?

SHRI SHANTI BHUSHAN Sir, I have, at present, no information about this But if the hon Member will supply me with these facts, the Government will certainly enquire into them and do justice in the matter

श्री राम लाल राही अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हरिजनो के मामले मे जो रिजर्वेशन पूरी नही हुई, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। मैं जानना चाहता हू कि सरकारी कर्मचारियो और प्रशासकीय अधिकारियो को रिजर्वेशन पूरी करने के लिए बराबर समय समय पर आदेश दिये गये हैं, लेकिन उन्होने काम पूरा नही किया तो इसमे सरकार जिम्मेदार होती है या अधिकारी जिम्मेदार होते हैं ?

श्री शांति भूषण कोई भी गलती अगर इतनी बडी कही पर होती है जिसमें हरिजनो की उपेक्षा होती है तो सरकार पर उसकी जिम्मेदारी हागी। अगर किसी खास मामले मे किसी सरकारी अफसर ने गलत काम किया हो तो उस का विचार करके उस अफसर को जरूर दण्ड दिया जायेगा।

श्री राम लाल राही मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से गरीबी को मिटाने के लिए उन्होने कहा है कि हम 10 साल मे गरीबी को इस देश से मिटायेंगे, तो क्या वह हरिजनो के आरक्षण को पूरा करने के लिए भी 3, 4, 5 साल का इस सदन को कोई आश्वासन देंगे ?

श्री शांति भूषण पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : भारत सरकार के सभी मंत्रालयो में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के साथ अन्याय हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है ? क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि कोई कमेटी या कमीशन ऐसा नियुक्त किया जायेगा जो तमाम मंत्रालयो मे इस बात की जाच करे कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज को सही स्थान दिये गये हैं या नही। और यदि कहीं सही अनुपात नही दिया गया है तो उसकी जानकारी के पश्चात् उस पर पूरा एक्शन भी ले ?

श्री शांति भूषण सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री बापुन सुम्बर्ई विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स मे जो आरक्षण कोटा मे आदिवासियो एव हरिजनो की नियुक्तिया एव प्रोन्नतियो मे इस तरह की गडबडिया होती रही है, क्या सरकार उन की जाच करने के लिए पार्लियामेंट के सदस्यो की एक विशेष समिति बनाना चाहती है ?

श्री शान्ति भूषण सरकार इस सुझाव पर भी विचार करेगी।

SOME HON MEMBERS *rose*—

MR SPEAKER I do not know what I can do. So many Members are getting up The Speaker can only give time, not jobs. What is the use of so many Members getting up like this? At this rate this may be the only Question that may be answered today All the Hon Members will please sit down I know it is an urgent problem, it is a serious problem. All right, let us take another ten minutes on this Question The hon lady Member.

श्रीमती अहिल्या पी० रांगणेकर : मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं, उन के

250-400 रुपये तक वेतन पाने वालों को पदोन्नति देने की बात कही गई है। लेकिन ऊपर की श्रेणी मे एक भी पदोन्नति नहीं दी गई है। मैं यह मानने के लिए तैयार नही हू कि क्लास वन और ऊपर के अधिकारियो मे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोई भी योग्य व्यक्ति नही मिल सका है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस को वह दूर करेगे। क्या इस की शुरूआत मंत्रि-मंडल से होगी ?

श्री शान्ति भूषण जो आंकड़े मैंने बताये हैं, उन का सम्बन्ध इंडियन आयल कार्पोरेशन, दिल्ली के मार्केटिंग डिविज़न के बारे मे पूछे गये प्रश्न से है। हायर पोस्ट्स के बारे मे प्रश्न नही पूछा गया है।

श्री राम विलास पासवान जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरिजनो के दिमाग मे एक प्रकार का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वह सरकार हरिजनो के हितो की रक्षा नही करेगी। चुनाव के दौरान भी हमे हमेशा यह शिकायत सुनने को मिलती थी कि जनता पार्टी की सरकार हरिजनो के लिए कुछ भी नही करने जा रही है, और यह भी कि हमारा रिज़र्वेशन खत्म कर दिया जायेगा। मंत्री महोदय ने कहा है कि अगर अफसर गलती करे, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उन्हे दंडित करेगी, लेकिन अगर सरकार स्वयं गलती करे, तो क्या होगा ? इस प्रकार के दर्जनों उदाहरण हैं। पैट्रोलियम मंत्री यहां नहीं हैं। मैंने उन्हें लिखा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिज़र्व्ड ऐक पोस्ट के लिए अमुक आदमी एक उपयुक्त कैंडीडेट है, लेकिन बरौनी में शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों को नहीं लिया जाता है और इस बारे भी नहीं लिया जायेगा। मंत्री महोदय ने कहा कि लिया जायेगा। लेकिन जब इसके बावजूद नहीं लिया जाता है, तब हम लोग क्या करें ?

श्री शान्ति भूषण . पहले तो मैं यह कहना चाहूगा कि माननीय सदस्य का यह विचार सही नही है कि जनता सरकार के बारे मे ऐसी धारणा है कि वह हरिजनो के साथ न्याय नही करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकारी अफसर गलती करेगा, तो सरकार उस को दुरुस्त कर सकती है, *लेकिन अगर सरकार की ओर से गलती* हो, तो क्या होगा। सरकार के ऊपर तो जनता है, और अगर सरकार न्याय नही करेगी, तो जनता इस को देखेगी।

श्री भगत राम क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कितने नान-शिड्यूल्ड कास्ट्स और नान-शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रोमोशन कान्फिडेंशल रिपोर्ट्स के आधार पर रुके हुए हैं और कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रोमोशन इस आधार पर रोके गये है, और यदि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का परसेंटेज ज्यादा निकलता है, तो मंत्री महोदय इस बारे मे क्या एक्शन लेंगे ?

श्री शान्ति भूषण परसेंटेज के बारे मे जो प्रश्न पूछा है 15 परसेंट और साढे सात परसेंट ये दो परसेंटेजेज हैं। 15 परसेंट शैड्यूल्ड कास्ट के लिए और साढे सात परसेंट शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए जो प्रोमोशन क्लास थ्री से क्लास टू मे होता है या क्लास टू के अन्दर होता है या क्लास टू से क्लास वन की जो लोवेस्ट रंग या कैटेगरी होती है उस से होते हैं उस के अन्दर ये हैं और जहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होता है वहां पर ये 15 परसेंट और साढ़े सात परसेंट है

SHRI K. S. CHAVDA: There is a Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; it is a Parliamentary Committee. The impression among the members of the scheduled castes and scheduled tribes is that this Committee is not functioning properly. May I know from the hon. Minister, what steps Government intends to take to see that this Committee meant for the welfare of these people functions effectively and properly?

श्री शांति भूषण : पार्लियामेंटरी कमेटी अगर प्रोपरली फंक्शन नहीं कर रही है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उसमे तो पार्लियामेंटरी कमेटी को ही ठीक से काम करना चाहिए ।

SHRI K A. RAJAN: I would like to bring it to the attention of the hon Minister that so far as these reservations for scheduled castes and scheduled tribes are concerned, these are not being implemented in the public sector undertakings, specially for the technical posts What action does the hon Minister propose to take in this respect?

SHRI SHANTI BHUSHAN. Proper efforts will be made to see that these public undertakings also implement these instructions.

श्री रूप नाथ सिंह यादव : मंत्री जी ने कहा कि सूटेबिल कैंडीडेट्स नहीं मिलते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन में यह मेंडेटरी प्राविजन है कि हरिजनों और आदिवासियों का कोटा कम्पलसरीली भरा जायेगा लेकिन न तो वह सीधी भर्ती में होता है और न प्रोमोशन में होता है, सूटेबिलिटी के आधार पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो सूटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है ?

श्री शांति भूषण : सूटेबिलिटी का क्राइटेरिया यही तो सैल्फ-एक्सप्लेनेटरी है कहीं है कि जिस पद के ऊपर नियुक्ति होनी है उस पद का कार्य करने की स्थिति में वह हो । मिसाल के लिए मैं कहूं कोई इंजन ड्राइवर है वह जनरल मैनेजर का काम करने की हैसियत में नहीं है लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट का कैंडीडेट होने के कारण यह कहा जाय कि कोटे से जरूर उसे जनरल मैनेजर बना दिया जाय वह बात तो दूसरी होगी । लेकिन कोई भी जो उस पद का कार्य सम्हाल सकता हो ऐसा व्यक्ति हो तो जरूर उसको अवसर दिया जा सकता है ।

SHRI D B. PATIL: The hon. Minister has stated that many employees were denied promotion because they were not found fit for promotion It was our experience in Maharashtra that promotion was denied to many employees on the ground that they were not fit, but, on re-examination, it was found that it was intentionally done and, therefore, justice was done to them afterwards. I would like to know if the Minister will re-examine all such cases where promotion was denied on the ground of not being fit and see that no injustice is done to them.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Yes, Sir, if it is found that in some cases those who were entitled to these promotions have been wrongly denied those promotions, certainly attention will be paid to them.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के सिलसिले में जो महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया, उस को टालने की कोशिश की गई, यह कह कर कि अगर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कोई शिकायत करेंगे तो सरकार उन को वंचित

करेगी और अगर सरकार कोई काम गलत करेगी तो उसे जनता दण्डित करेगी, इस तरह से पांच वर्ष के लिए इस सवाल को टालना चाहते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार गलती करेगी तो यह सवाल उसको दण्डित करेगा, इस सवाल को पांच साल के लिए नहीं टाला जा सकता है।

आज देश के पिछड़े और हरिजन समाज में यह भावना पैदा की जा रही है कि उन के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन को मिलने वाले तमाम अधिकारों और सुविधाओं से वंचित किया जायेगा। सरकार को अभी तत्काल इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि उन को उनके तमाम अधिकारों से वंचित नहीं किया जायगा, उन को सभी अधिकार दिए जायेंगे, उनकी रक्षा की जायगी। यह घोषणा आज सरकार की तरफ़ से—विधि मंत्री की तरफ से नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री की तरफ़ से—होनी चाहिए।

श्री शान्ति भूषण : मैं माननीय सदस्य से यही कहना चाहता हूं कि जब सरकार गलती करेगी ही नहीं, तो फिर गलती करने के बाद क्या होगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री उग्रसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आप ने काफ़ी व्यापक बना दिया और मंत्री जी ने भी बहुत व्यापक रूप से उत्तर दिया। मेरा प्रश्न इण्डियन आयल कारपोरेशन के दिल्ली आफिस के कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में था —पदोन्नति करते समय तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है—सेन्ट-आफ़-सर्विस, क्वालिफिकेशन और तीसरे कान्फिडेन्शल रिपोर्ट। जहां तक सेन्ट-आफ़-सर्विस और क्वालिफिकेशन की बात है, वह तो ठीक है, लेकिन जहां तक कान्फीडेन्शल रिपोर्ट की बात है, श्री शांतिभूषण के सवाल के उत्तर में बताया गया था कि 2000 रु० से लेकर 200 और 300 रु० तक पाने वाले अफसरों में कोई भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है, सब उच्च वर्ग के लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं—क्या आप कान्फीडेन्शल रिपोर्ट में कुछ ढील देंगे ?

श्री शांति भूषण : सरकार इस बात पर पूरा ध्यान देगी कि इस तरह का कोई अन्याय हरिजनों के साथ न हो सके और न कोई कर सके।

MR. SPEAKER: To-day you have taken almost the whole hour for one question. It is twelve O'Clock. Question Hour is over. Now, even the Speaker cannot extend it further. For this one question I have given the whole time. Even then the Members are not satisfied.

Short Notice Question is there.

I am sorry I could not help the Members. Instead of taking it up in Question Hour, you may have some debate or discussion on this. I shall not allow this kind of thing in future as many important questions could not be taken up to-day.

SHORT NOTICE QUESTION

Time Capsule

+

S.N.Q. 7. DR. SUBRAMANIAM SWAMY:

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA:

SHRI SAMAR GUHA:

SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI:

SHRI KANWARLAL GUPTA.

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Time Capsule of History buried at the Red Fort contains many grave historical errors; and